

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/ए.सी.पी./2010/1111

दिनांक 25-8-10

—: परिपत्र :—

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) वित्त/नियम/2008/पार्ट-1 दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने 10, 20 व 30 वर्ष की राज्य सेवा आयोग से चयन पश्चात् पूर्ण कर ली है, किन्तु उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, को ए.सी.पी. स्वीकृत की जानी है। इस संबंध में ध्यान में आया है, ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका नहीं भिजवायी जाती है, जिसके अभाव में ए.सी.पी. प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, अतः आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिनके ए.सी.पी. स्वीकृति आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए है, के ए.सी.पी. प्रकरण पुनः तैयार कर ईकजाई पत्र वाहक के साथ भिजवाने की व्यवस्था करावे, ताकि सेवा पुस्तिकाए पत्र वाहक को लौटाई जा सके। प्रकरण में निम्न बिन्दुओं की जाँच कर ली जावे :-

1. ए.सी.पी. की निर्धारित चैक लिस्ट में सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी का प्रमाण-पत्र अकिंत है।
2. सेवा पुस्तिका संलग्न है।
3. चिकित्सक की दिनांक 01.06.02 से पूर्व व पश्चात् जन्मी संतान संबंधी सूचना संलग्न है।
4. चिकित्सक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है।
5. यदि चिकित्सक को विभागीय जाँच में कोई दण्ड दिया गया है, तो उसका उल्लेख लाल स्याही से ए.सी.पी. की चैक लिस्ट में कर दिया गया है।
6. चिकित्सक द्वारा गत 10 वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर कर प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिन्हे आप द्वारा निर्धारित पूर्ति कर निर्धारित चैनल द्वारा भिजवा दिया गया है।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/चि.अ./2010/1111

दिनांक 25-8-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर।
3. निदेशक (प.क.)/एडस/ई.एस.आई./एम.एस.यू., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. प्रधानाचार्य, रा.प.क. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जयपुर।
10. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउन लोड करने हेतु।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर